न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 528/2020 (GCMS No. 2020/00552) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र कप्तान
2. लाखनसिंह पुत्र कप्तान
3. टुण्डाराम पुत्र कप्तान
4. मुन्नालाल पुत्र कप्तान
5. सत्तो उर्फ सत्यबती पुत्री कप्तान
   समस्त जाति नाई निवासी सैंपऊ तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राजस्थान।
6. रामबाबू पुत्र पन्नालाल जाति स्वर्णकार निवासी सैंपऊ तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राज. (फोत)
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तसीमों जरिये शाखा प्रबंधक।

.....रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 03.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ बावत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रकरण संख्या 16/2017 उनवान सरकार बनाम कम्पूरी बगैरा.

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से तहसीलदार।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 की ओर से श्री योगेश शर्मा, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 28.05.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के आदेश दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने एक प्रार्थनापत्र मृतक कम्पूरी एवं उसके पुत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रेस्पोडेन्ट के विरूद्व धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उनवानी सरकार बनाम कम्पूरी बगैरा. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ में प्रस्तुत किया कि ग्राम सैंपऊ का खसरा नम्बर 3325 रकवा 9 विस्वा जो साबिक ख.नं. 2301 मिन रकवा 11 विस्वा तहसील सैंपऊ में स्थिति है। उक्त आराजी प्रतिवादी कम्पूरी एवं रेस्पो. 1 लगा. 5 की खातेदारी में दर्ज है तथा रेस्पो. सं. 6 के कब्जे काश्त में है। महकमा बन्दोवस्त द्वारा विवादित आराजी तत्कालीन अप्रार्थीगण 1 लगा. 6 के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से कर दी गई। बन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को बदलने का अधिकार नहीं है परन्तु बन्दोवस्त विभाग ने अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष के नाम कर दिया जो गलत है। ऐसे इन्द्राजात से अप्रार्थीगण को कोई लाभ नहीं मिलता है। ये इन्द्राजात काबिली दुरूस्ती है। अतः आराजी ख.नं. 3325 रकवा 9 विस्वा वांके ग्राम सैंपऊ के वर्तमान इन्दाज को कलमजद किया जाकर सिवायचक दर्ज कर राजस्थन सरकार के खाते में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर कब्जे राज लिये जाने की आज्ञा प्रदान करें। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस का जबाब उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। जबाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा पर गैरसायल नम्बर 7 का कब्जा है। राजस्थान सरकार को इस बाद का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रार्थना पत्र में कोई डिक्री जारी नहीं की जा सकती। दोनों पक्षों को सुनकर व सम्पूर्ण जॉच करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.07.2000 को निर्णय पारित करते हुये अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया व ख.नं. 3325 रकवा 9 विस्वा से अप्राथीगण के हक में हो रहे इन्द्राजात को कलमजद किये जाने एवं आराजी को पुनः मिल्कियत सरकार अंकित करने के आदेश दिये तथा अप्रार्थी संख्या 7 को बेदखल करने के आदेश जारी किये। जिसकी पालना में आराजी मिल्कियत सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई। निर्णय दिनांक 12.07.2000 की गैरसायलान ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की जो निर्णय दिनांक 18.12.2001 से खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2001 के विरूद्व गैरसायलान ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की। राजस्व मण्डल द्वारा उक्त अपील को दिनांक 23.04.2015 को आंशिक स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अधिनियम की धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत राजस्व अभिलेख विस्तृत विवेचन करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें तथा दोनों पक्षों को निर्देश प्रदान किये कि परीक्षण न्यायालय में दिनांक 28.05.2015 को उपस्थित रहें। दिनांक 28.05.2015

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पत्रावली प्राप्त नहीं हुई इसलिए दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद अपीलांट को जानकारी नहीं रही कि पत्रावली कब उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में आई और उसके बाद कब न्यायालय सैंपऊ में अंतरित की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ का पत्र दिनाक 31.07.2019 का जारी किया हुआ दिनांक 23.01.2020 को प्राप्त हुआ जिसके आधार पर पटवारी हल्का को पालना हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2000 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश नहीं है। अतः पटवारी स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण को लम्बित रखते हुये लॉकडाउन के मध्य में रेस्पो. ने अपीलांट के कार्यालय में आकर कई बार आकर जारी पत्र की पालना के लिए प्रयास किया तब मूल पत्रावली की जानकारी की गई। उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ से दिनांक 26.06.2020 को पत्रावली प्राप्त हुई। पत्रावली प्राप्त होने पर ही जानकारी हुई कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ द्वारा केवल प्रार्थना पत्र 144 क ही निर्णय नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट का भी निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पो. द्वारा आपत्ति अपील पेश कर कथन किया कि आपत्तिकर्तागण के पूर्वजों के पक्ष में संवत् 2013–2016 की जामबंदी में अंकित नोतोड काश्तकार के इन्द्राज को दृष्टिगत रखते हुये कानून के प्रभाव से उत्तरदातागण के पूर्वजों को अधिकारी मानते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 746 वाके ग्राम सैंपऊ खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे जिनको धारा 136 एलआरएक्ट के तहत कानून छीना नहीं जा सकता है। लिहाजा यह अपील विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। धारा 136 एलआरएक्ट व्याप्ति राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती एवं केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियां ही परिशोधित की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट सव्यय खारिज फरमाई जावे।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष को अपील एवं प्रार्थना पत्र आपत्ति अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस अपीलांट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दोनों पक्षों को दिनांक 28.05.2015 को उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया परन्तु उक्त दिनांक तक पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में नहीं आई। दिनांक 12.10.2017 को भेजी गई पत्रावली उपखण्ड कार्यालय में प्राप्त होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकार सैंपऊ में प्रस्तुत हुई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हरीसिंह बगैरा ने उसी दिन 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इसके साथ प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2(2) सी.पी.सी. पेश किया। उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों की अपीलांट को प्रति नहीं दिलवाई गई और न ही पत्रावली उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सैंपऊ में अन्तरित होने की सूचना दी गई। बिना अपीलांट को तलव किये ही कार्यवाही शुरू कर दी गई। आदेश 22 नियम 2(2) की कार्यवाही सायल अपीलांट को की जानी थी लेकिन इस तथ्य पर गौर नहीं कर गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत और मात्र गैरसायलान को सुनकर उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया। दिनांक 07.02.2018 एवं 12.02.2018 को अपीलांट की उपस्थिति दिखाई गई है जबकि अपीलांट को पत्रावली के बारे में जानकारी ही नहीं थी और न अपीलांट को सूचना दी गई तो अपीलांट उक्त तारीखों में कैसे उपस्थित हो सकता है। दिनांक 26.07.2018 को रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में फसल का इन्द्राज कराने हेतु प्रस्तुत किया उस तारीख पर भी अपीलांट उपस्थित नहीं था और न ही अपीलांट को कोई सूचना थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलांट की बैक पर की गई जो विधि विरूद्व हैं। दिनांक 29.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में लिखा है कि वकील वादी उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। प्रार्थना पत्र 144 सी.पी.सी. दिनांक 20.09.2017 को पेश किया था पैरोकार द्वारा आज दिनांक तक जबाब पेश नहीं किया है। अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनांक 13.06.2019 को पेश हो। इस तारीख पर न तो पैरोकार सरकार उपस्थित थे और न ही अपीलांट उपस्थित थे और न ही प्रार्थना पत्र 144 की प्रति उपलब्ध कराई गई। केवल खानापूर्ति करने हेतु पैरोकार सरकार की उपस्थिति की आदेशिका लिखी गई। दिनांक 13.06.2019 को सरकारी प्रकरण होने के बावजूद बिना अपीलांट को सूचित किये बिना नोटिस जारी किये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 144 की एक पक्षीय बहस सुनकर स्वीकार कर लिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं रही। धारा 144 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को मूल प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट के साथ निस्तारित नहीं किया जा सकता। यह प्रार्थना पत्र अलग से दर्ज कर दोनों पक्षो को तलव कर सुनवाई के पश्चात् ही निस्तारित किया जा सकता है। मूल अपील को देखने से पता लगा कि प्रार्थना पत्र 144 सी.पी.सी. को स्वीकार करने के बाद दिनांक 03.07.2019 को एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज कर दिया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने पर जरिये नोटिस अपीलांट को प्रकरण के बारे में सूचित करना चाहिए था। सूचना के बाद यदि अपीलांट उपस्थित नहीं होता तो प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। उसके बाद प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पत्र 144 को अलग दर्ज कर उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। मात्र रेस्पो. को सुनकर माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना ही रेस्पो. के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। रेस्पो. अपीलांट के कार्यालय में बार बार आकर निर्णय की पालना कराने के लिए जोर दे रहे है। इसलिए अपील जानकारी के दिवस से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। मियाद के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि रेस्पो. द्वारा आपत्ति पेश की गई है। न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 144 सी.पी.सी. के निर्णय दिनांक 13.06.2019 तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट के गई है जो विधि विरूद्व है। दो आदेशों की अलग–अलग अपील पेश की जानी चाहिए। अतः अपील को खारिज किया जावे। विवादित आराजी खयरा नम्बर 3325 वाके ग्राम सैपऊ नं. 1 का गत ख.नं. 2301 मिन था तथा उक्त खसरा नम्बर 3325 एवं अन्य कृषि भूमि के बन्दोवस्त से पूर्व सम्वत् 2012 जबकि काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया था के समय से रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज वुद्धू व पंचू पिसरान वंशी नौतोड काश्तकार थे। वुद्धू व पंचू रिकॉर्डेड खातेदार थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के बाद जरिये नामांतरकरण संख्या 746 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। जमाबन्दी संवत् 2013–16 में रेस्पो. के पूर्वज नौतोड दर्ज है तथा जोती बोई गई फसल का अंकन है। बन्दोवस्त के समय सरदारी व्यवस्था थी। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रकरण आंशिक स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया गया। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधान के तहत मात्र ऐसी गलती जो लिपिकीय हो या हितबद्ध पक्षकार जिनको स्वीकार करता हो दुरूस्त की जा सकती हैं। लेकिन अपीलाधीन प्रकरण में कोई भी लिपिकीय त्रुटि नहीं थी। स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र धारा 136 के द्वारा खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। अपील विधि विरूद्व है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। शपथ पत्र असत्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा डीएनजे 2017(2)Raj पेज 839, डीएनजे 2023(2) Rev. पेज 1089, आरआरटी 2015(1)पेज 10, आरआरटी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2013(1)पेज 659, आरआरटी 2020(2)पेज 819, आरआरटी 2002(1) पेज 150 आरआरटी 2002(1) पेज 414 पेश किये।

6. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, अपील एवं आपत्ति अपील का अवलोकन किया व मनन किया। अपीलांट द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा विलम्ब के बिन्दु पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दूरभाष पर सूचना दिये एक पक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया है और अपीलांट को यह जानकारी भी नहीं थी कि पत्रावली उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को कब प्राप्त हुई और उसके बाद कब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ को अन्तरित कर दी गई। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। धारा 144 पर पारित निर्णय पृथक प्रकृति का होने से उस हेतु इस अपील की हद तक विचार किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

7. हमने अपील एवं आपत्ति अपील का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 3325 साबिक नम्बर 2301 मिन स्थित तहसील धौलपुर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 की खातेदारी दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जे में है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 6 के नाम बिना किसी सक्षम आदेश व अधिकार के कर दी। बन्दोवस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को बदलने का अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से आदेश पारित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 6 के पूर्वज संवत् 2002 से निरन्तर रिकार्ड एवं मौके पर काबिज हैं लिहाजा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया गया। इससे पूर्व अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट पेश किया जिसमें दिनांक 12.07.2000 को अपील स्वीकार की गई। उक्त निर्णय की अपील रेस्पो. द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ पेश की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2001 से अपील खारिज कर दी गई। उसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो दिनांक 23.04.2015 को आंशिक स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के प्रतिप्रेषित की गई।राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय में विवेचन किया है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कि " साबिक खसरा नम्बर 2301/1 रकवा 11 विस्वा से हाल ख.नं. 3325 रकवा 9 विस्वा बने हैं जमाबंदी संवत् 2017 से 2022 में खसरा नम्बर 2301 रकवा 4 बीघा 14 विस्वा मिल्कियत सरकार दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2021 में काबिज जरायत दर्ज होकर इस पर ग्वार, मौठ आदि की काश्त अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2022 में भी जरायत दर्ज होकर कलक्टर के आदेश दिनांक 13.02. 1963 से अन्य खसरा नम्बर 2302, 2303, 2315 के साथ खसरा नम्बर 2301 में से 2 बीघा 9 विस्वा भूमि मिडिल स्कूल सैंपऊ को आवंटित की गई है का नोट अंकित है। जमाबंदी संवत 2047 से 50 में विवादित भूमि रामेश्वर, रामकिशोर, नन्दकिशोर, रामनिवास पुत्री मुन्नी भूरी पुत्री श्रीया, माया बेवा श्रीया हिस्सा 1/2 कप्तान दत्तक पुत्र पंजू जाति नाई हि0 1/2 खातेदार दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने उक्त राजस्व अभिलेख के आधार पर ही अपना निर्णय दिया है।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत खतौनी बन्दोवस्त संवत 2022 में हाल खसरा नम्बर 3325 रकवा 9 विस्वा पर बुद्धू वगैरा का नाम कालम संख्या 5 नाम कृषक के कालम में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 में ख.नं. 2301/1 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा पर कालम संख्या 5 नाम भूमि अधिकारी में जगराज वगैरह तथा कालम संख्या 6 नाम उप कृषक में काबिक जरायत दर्ज है। खसरा नम्बर 2301/1 रकवा 2 विस्वा खसरा नम्बर 2301/1 रकवा 5 विस्वा पर कालम संख्या 6 में बुद्धू व पंचू नाई का नाम दर्ज है। खेवट खतोनी संवत् 2013 में ख.नं. 2301/1 रकवा 2 विस्वा व ख.नं. 2301/1 रकवा 5 विस्वा पर बुद्धू व पंचू की नोतोड अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2017 में ख.नं. 2300/1 रकवा 18 विस्वा पर बुद्धू वगैरा को टी.ए. की धारा 15 के तहत खातेदार दिया गया तथा इसी प्रकार ख.नं. 2301/1 रकवा 2 विस्वा पर टी.ए. दफा 15 के अनुसार बुद्धू को खातेदार किया गया का नोट अंकित है।

राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति के अनुसार यह जाहिर होता है कि बुद्धू व पंचू का ख.नं. 2301/1 पर कब्जा काश्त रहा है तथा उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अर्न्तगत खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। यह भी स्पष्ट है कि ख.नं. 2301/1 नम्बर से तीन नम्बर है जिनका रकवा अलग अलग अर्थात 4 बीघा 14 विस्वा, 2 विस्वा व 5 विस्वा रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इन सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार किस अधिकारी द्वारा दिये गये है, भी साबित नहीं कराया गया है। इसके साथ ही उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल किये जाने का आदेश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिया है। ऐसी स्थिति में हम अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं। परन्तु प्रकरण में उक्त राजस्व अभिलेखों की पूर्ण जांच कर धारा 136 अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये पुनः कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 18.12.2001 तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को निर्णय दिनांक 12.07.2000 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का विस्तृत विवेचन करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।" परन्तु अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की गई और दोनों पक्षों को बिना सुने व अपने अपीलाधीन आदेश में राजस्व अभिलेखों का विस्तृत विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया। जो विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से वापस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सूचित किया जाना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया गया। रेस्पो. का कथन है कि धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। इस संबंध में " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (3) की उपधारा (2) में उल्लेखित है कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर, ओर (पचास पैसा) न्यायालय शुल्क भुगतान करने पर अधिकारिता रखने वाले सहायक कलक्टर को यह घोषणा की जाने की प्रार्थना करते हुये आवेदन कर सकेगा कि उसने अपने द्वारा संधृत भूमि में उप–धारा (1) के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित कर लिये हैं। (4) उक्त आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात– (क) कि उसके द्वारा संधृत भूमि उसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किराये पर दी गई थी। (ख) कि उक्त भूमि उसे उप–धारा (2) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के आधार पर नहीं दी गई थी। (ग) कि उक्त भूमि जब उसे किराये पर दी गई थी तब वह इन परिस्थितियों से अवगत नहीं कराया गया था। (घ) कि उसने उक्त प्रारम्भ के पूर्वकोई चूक या भंग इस प्रकार की जैसी कि उप–धारा (2) में निर्दिष्ट है, नहीं की थी। (5) सहायक कलक्टर उप–धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाने पर विहित रीति से जॉच करेगा और आवेदक को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा यदि वह आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं करता है तो यह घोषणा करेगा कि आवेदक अपनी भूमि का उप–धारा (1) के उपबंधों के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अनुसरण में तथा उनके अधीन रहते हुये खातेदार आसामी हो गया है।" रेस्पो. द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर ने धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित किया हो ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया। राजस्थान भू राजस्व की धारा 136 के तहत प्रावधान है कि "उपखण्ड अधिकारी को भू प्रबंधन (सैटलमेंट) की कार्यवाही बंद हो चुकने के पश्चात धारा 136 के नीचे भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हैं। अतः वह रेकार्ड में गलतियॉ दुरूस्त कर सकता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि बन्दोवस्त से पूर्व यह भूमि मिल्कियत सरकार थी। धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है तो फिर किस आदेश से रेस्पोडेन्टस का नाम अंकित हुआ परीक्षण का विषय है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को परीक्षण करना चाहिए था। राजस्व रिकार्ड में गलती से कर दिये गये इन्द्राज की दुरूस्ती भूमि का संपरिवर्तन (कनवर्शन) नहीं है। गलती को दुरूस्ती की जा सकती है जो उपखण्ड अधिकारी भी कर सकता है।" उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को न तो सुना गया और न ही धारा 136 की प्रक्रिया के तहत परीक्षण किया गया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। राजस्व मण्डल के आदेशों की पालना भी नहीं की गई। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ का निर्णय दिनांक 03.07.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्व अभिलेखों को विस्तृत विवेचन करते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर 28/5/24